

अनौपचारिक
रूप से
परागर्शित

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

सेवा में

महालेखाकार (ल०० एवं हक०),
पो०-हिनू रांची।

द्वारा— आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची, दिनांक-02/01/19

विषय:—वित्तीय वर्ष 2018-19 में गढ़वा नगर परिषद अन्तर्गत वार्ड संख्या-11 एवं 14 में नाली निर्माण हेतु तकनीकी अनुमोदन प्राप्त कुल 92,33,800/-रु० के प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए इस योजना के कार्यान्वयन हेतु नागरिक सुविधा मद अंतर्गत OSP प्रक्षेत्र से कुल ₹ 38,64,595 (अड़तीस लाख चौसठ हजार पाँच सौ पन्चानवे रुपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि गढ़वा नगर परिषद के पत्रांक-1569 दिनांक-26.10.2018 एवं पत्रांक-1644 दिनांक-20.11.2018 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में मुख्यमंत्री जनसंवाद के शिकायत संख्या-66221/2016 से आच्छादित योजना वार्ड संख्या-11 एवं 14 में नाली निर्माण हेतु तकनीकी अनुमोदन प्राप्त कुल 92,33,800/-रु० के प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए इस योजना के कार्यान्वयन हेतु नागरिक सुविधा मद अंतर्गत OSP प्रक्षेत्र में अवशेष 25% राशि में से कुल ₹ 38,64,595 (अड़तीस लाख चौसठ हजार पाँच सौ पन्चानवे रुपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2018-19 में मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास— उप मुख्यशीर्ष-80— सामान्य-लघुशीर्ष-191— नगर निगम को सहायता—उपशीर्ष-34— शहरी रथानीय निकायों को नागरिक सुविधा हेतु सहाय्य अनुदान—विरस्तुत शीर्ष-06— अनुदान-79—सहायता अनुदान सामान्य (गैर घेतन) विपत्र कोड- 485221780191340679 से विकलनीय होगा।

3. स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, गढ़वा नगर परिषद होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी गढ़वा कोषागार से की जायेगी।

4. विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व के वर्ष (2016-2017) में गढ़वा नगर परिषद द्वारा उक्त बजट शीर्ष से निकासी की गयी राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधी विवरणी निम्नवत है :—

क्रं०	निकाय का नाम	स्वीकृत्यादेश की संख्या/तिथि	निकासी की गयी राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रगाण-पत्र की राशि
i	ii	iii	iv	v
1	गढ़वा नगर परिषद	163/17.11.2016 332/21.02.2017	5210034 1170000	5210034 1170000

5. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-759/वि० दिनांक-20.03.2015 की कंडिका-5 (iii) के आलोक में स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि के विपत्र पर सक्षम प्राधिकार या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् विपत्र झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के अनुरूप कोषागार में में प्रस्तुत किया जायेगा।

6. इस राशि की निकासी में वित्त नियमावली, झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 का अनुपालन किया जायेगा। भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इससे संबंधित पुस्तकों/पंजियों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
7. राशि की निकासी वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र (अनुदेश) सं0-2561/दिनांक-17.04.98 में सन्निहित प्रक्रियाओं एवं समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को निश्चित रूप से भेजा जायेगा एवं इसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।
8. इस राशि से उक्त योजना का कार्यान्वयन तकनीकी रवीकृति प्राप्त प्राक्कलन के अनुसार प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा एवं भौतिक/वित्तीय उपलब्धियों का प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 के बजट संबंधी धाराओं के अंतर्गत राशि सम्मिलित करने के उपरांत ही नियमानुसार स्वीकृत राशि का व्यय करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना अथवा राशि भुगतान का दुप्लीकेशन किसी भी परिस्थिति में न हो।
10. कार्यपालक पदाधिकारी, गढ़वा नगर परिषद रवीकृत राशि के Online आवंटन निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर राशि की निकासी करते हुए, रवीकृत राशि से उक्त योजना का निविदा आमंत्रित करते हुए योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे।
11. रवीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
12. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-759/वि० दिनांक-20.03.2015 (कंडिका-5) के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अतः संबंधित कोषागार पदाधिकारी, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-759/वि० दिनांक- 20.03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिंह)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-5/न०वि०/विविध/नाली निर्माण-58/2018.....166.....

राँची, दिनांक-.....02/01/19

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय के आप्त सचिव/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं उपायुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी, गढ़वा नगर परिषद/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/नोडल पदाधिकारी, e-Procurement Cell/श्री कुणाल, CMM को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/श्री संदीप अग्रवाल, सहायक प्रशास्त्रा पदाधिकारी को ऑनलाईन आवंटन हेतु/अवर सचिव, बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।